



Protean eGov Technologies Limited

सिस्टमैटिक लंपसम विद्द्रॉअल (SLW) पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

© 2022 Protean eGov Technologies Limited (Formerly known as NSDL e-Governance Infrastructure Limited), All rights reserved.

Property of Protean eGov Technologies Limited.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, for any purpose, without the express written consent of Protean eGov Technologies Limited.

सिस्टमैटिक लंपसम विद्‌ड्रॉअल (SLW) क्या है?

सिस्टमैटिक लंपसम विद्‌ड्रॉअल (SLW) एनपीएस के तहत एक सुविधा है, जिसके तहत सुपरएन्वुएशन (सेवानिवृत्ति) के बाद, एकमुश्त राशि को चरणों में निकाला जा सकता है। सदस्य को नियमित अंतराल पर (जैसे, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक) तय राशि निकालने का विकल्प मिलता है। यह म्यूचुअल फंड्स के तहत सिस्टमैटिक विद्‌ड्रॉअल प्लान के समान है।

वन टाइम लंपसम विद्‌ड्रॉअल की तुलना में SLW चुनने के क्या लाभ हैं?

SLW सुविधा के साथ, अभिदाता को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

- ✓ इससे अभिदाता को नियमित कैश फ्लो में सहायता मिलेगी।
- ✓ एनीयुटी के साथ, SLW के जरिए नियमित कैश फ्लो से अभिदाता की मासिक आय में वृद्धि होगी।
- ✓ SLW एक अतिरिक्त संपत्ति सृजन का साधन है क्योंकि निवेशित NPS कॉर्पस पर रिटर्न्स जारी रहते हैं और यह बढ़ता रहता है।

SLW की विशेषताएं क्या हैं?

- ✓ वे सदस्य जो सुपरएन्वुएशन (यानी, सेवानिवृत्ति पर या 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर एग्जिट) के लिए योग्य हैं, वे SLW सुविधा का चयन कर सकते हैं।
- ✓ लंपसम कॉर्पस (यानी, अधिकतम 60% एनपीएस कॉर्पस, जिसे निकासी पर निकाला जा सकता है) को सदस्य SLW सुविधा के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी सदस्य का कॉर्पस 5 लाख रुपये तक है और वह पूरी निकासी के लिए योग्य है, तो वह अपना 100% कॉर्पस SLW के लिए उपयोग कर सकता है।
- ✓ वर्तमान में, महीने की 1/5/10/15/20/25 तारीख में से किसी भी तारीख को "SLW तिथि" के रूप में चुना जा सकता है।
- ✓ SLW चुनने के लिए दो अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं:
 - **आयु के आधार पर SLW** - इस विकल्प में, अभिदाता अपनी आयु का चयन कर सकता है, जिस आयु तक उसे SLW सुविधा की आवश्यकता है।)
 - **किस्त राशि के आधार पर SLW**- इस विकल्प में, अभिदाता वह राशि चुन सकता है जिसे वह निर्धारित आवृत्ति के अनुसार सिस्टमैटिक रूप से निकालना चाहता है।

SLW के लिए अभिदाता हेतु कौन से आवृत्ति विकल्प उपलब्ध हैं?

मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आवृत्ति का विकल्प अभिदाता के लिए उपलब्ध है।

कोई अभिदाता अपने NPS खाते के लिए SLW सुविधा को कैसे सक्रिय कर सकता है?

- ✓ सदस्य जब अपने सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर निकासी का अनुरोध CRA सिस्टम में सबमिट करते हैं, तो वे उसी समय SLW (सिस्टमैटिक लंपसम विद्‌ड्रॉअल) को शुरू कर सकते हैं।
- ✓ निकासी अनुरोध शुरू करते समय, सदस्य के पास SLW चुनने या पूरी लंपसम राशि निकालने का विकल्प होता है।
- ✓ अभिदाता को SLW विकल्प का चयन करना होगा तथा SLW के सक्रियण के लिए प्रासंगिक विवरण प्रदान करना होगा।
- ✓ अगर निकासी के समय SLW सुविधा का विकल्प नहीं चुना गया है, तो सदस्य बाद में कभी भी, निकासी अनुरोध प्रोसेस होने से पहले, SLW अनुरोध शुरू कर सकते हैं।

क्या SLW अनुरोध को नोडल ऑफिस/POP/CRA/कोई अन्य एंटीटी द्वारा सत्यापित/मंजूर किया जाना आवश्यक है?

अभिदाता CRA सिस्टम में ड्यूल OTP या ई-साइन के साथ SLW अनुरोध शुरू कर सकते हैं। SLW अनुरोध को नोडल ऑफिस / POP / CRA या किसी अन्य एंटीटी द्वारा सत्यापित/मंजूर करने की आवश्यकता नहीं है।

अभिदाता को PRAN के लिए SLW सुविधा के सक्रियण के बारे में कैसे पता चलेगा?

सदस्य को SLW सक्रिय होने पर और उनकी बैंक खाता में राशि जमा होने के बाद Protean CRA से SMS/ईमेल अलर्ट प्राप्त होंगे। ऐसे अलर्ट्स प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को CRA सिस्टम में अपडेट करना आवश्यक है।

अभिदाता को SLW की पहली किस्त की राशि कब मिलेगी?

पहला SLW अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख या 60 वर्ष की आयु पूरी होने के ठीक बाद ही शुरू होगा और उसकी निकासी अनुरोध CRA सिस्टम में मंजूर हो जाएगी। इसके बाद, राशि सदस्य के बैंक खाते में SLW की निर्धारित आवृत्ति (मासिक, त्रैमासिक, आदि) और चुनी हुई तारीख के अनुसार भेजी जाएगी।

अभिदाता के खाते में SLW राशि जमा करने की समय-सीमा क्या है?

CRA में सुपरएन्युएशन निकासी अनुरोध की स्वीकृति के बाद SLW शुरू होने के लिए 5 दिनों का अंतराल होगा।

उदाहरण के लिए: SLW तिथि महीने की पहली तारीख है और चुनी गई आवृत्ति मासिक है। सुपरएन्युएशन/सेवानिवृत्ति की तिथि (DOR) - 31 जुलाई, 2023

- ✓ यदि निकास अनुरोध 25 जुलाई, 2023 को स्वीकृत किया जाता है, तो SLW 1 अगस्त, 2023 से शुरू होगा।
- ✓ यदि 28 जुलाई, 2023 को निकास अनुरोध स्वीकृत किया जाता है, तो SLW 1 सितंबर, 2023 से शुरू होगा।
- ✓ यदि निकास अनुरोध 10 अगस्त, 2023 को स्वीकृत किया जाता है, तो SLW 1 सितंबर, 2023 से शुरू होगा।
 - यदि SLW की तिथि शनिवार/रविवार या व्यावसायिक अवकाश है तो SLW अगले कार्य दिवस पर CRA प्रणाली में निष्पादित हो जाएगा।
 - धनराशि बैंक खाते में T + 2 दिन पर स्थानांतरित की जाएगी, जहां "T" CRA प्रणाली में SLW के निष्पादन की तारीख है।

अधिकतम कितनी अवधि के लिए SLW का विकल्प चुना जा सकता है?

SLW को अभिदाता तब तक चुन सकते हैं जब तक उनकी आयु 75 वर्ष न हो जाए।

क्या कोई अभिदाता SLW सुविधा के दौरान अतिरिक्त राशि का अंशदान कर सकता है या आंशिक रूप से राशि निकाल सकता है?

वर्तमान में, एक बार SLW शुरू हो जाने पर, अंशदाता के लिए अंशदान जमा करने या आंशिक निकासी का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।

सक्रिय SLW के साथ अभिदाता द्वारा किस प्रकार के अनुरोध/लेनदेन किए जा सकते हैं?

वर्तमान में, नीचे दिए गए अनुरोध को अभिदाता द्वारा पूरा किया जा सकता है:

- ✓ बैंक विवरण में संशोधन
- ✓ संपर्क विवरण का अद्यतन (मोबाइल नंबर और/या ईमेल आईडी)
- ✓ SLW संशोधन / रद्द करना

SLW के लिए लागू शुल्क क्या हैं?

सिस्टमेटिक विड्रॉअल को एक लेन-देन माना जाएगा और इसके अनुसार, CRA द्वारा लेन-देन शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क PRAN से यूनिट कटौती के रूप में लिया जाएगा, साथ ही अन्य शुल्क (जैसे वार्षिक रखरखाव शुल्क, पेनी ड्रॉप सत्यापन आदि) त्रैमासिक आधार पर वसूले जाएंगे।

एक अभिदाता CRA प्रणाली में SLW अनुरोध की स्थिति की जांच कैसे कर सकता है?

सदस्य CRA सिस्टम में अपने खाते में लॉगिन करके SLW अनुरोध की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें Continuity & Withdrawal -> Systematic Lumpsum Withdrawal (SLW) -> Status View विकल्प का चयन करना होगा। स्थिति के अलावा, सदस्य इंस्टॉलमेंट्स की जानकारी भी देख सकते हैं।

क्या भविष्य में SLW को संशोधित/रद्द किया जा सकता है?

हाँ, यदि ग्राहक SLW को संशोधित/रद्द करना चाहता है तो ऐसा CRA प्रणाली में अनुरोध प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

क्या SLW के दौरान शेष NPS राशि का मूल्यांकन बदल जाएगा या इसे फ्रीज कर दिया जाएगा?

SLW का विकल्प चुनने के बाद, शेष राशि अभिदाता द्वारा चुनी गई योजना के अनुसार NPS में निवेशित रहेगी।

अगर SLW का विकल्प चुनने के बाद सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो बची हुई लंपसम कॉर्पस और/या एनीयुटी का क्या होगा?

यदि अभिदाता की मृत्यु हो जाती है जबकि वे सिस्टमेटिक विड्रॉअल कर रहे होते हैं, तो पूरा कॉर्पस नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। अगर एनीयुटी कॉर्पस निकाला नहीं गया है, तो PFRDA के निकासी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के मामले में नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी को एनीयुटी का विकल्प लेना अनिवार्य होगा, जबकि गैर-सरकारी सदस्य के मामले में एनीयुटी लेना वैकल्पिक होगा।

क्या SLW एनपीएस के तहत सभी प्रकार की NPS पर लागू होता है?

सिर्फ वे सदस्य जो सुपरएन्ड्रेशन या 60 वर्ष की आयु पर निकासी के लिए योग्य हैं, वे ही SLW विकल्प चुन सकते हैं। वर्तमान में, SLW सुविधा प्रीमेच्योर /असमर्थता/मृत्यु के कारण निकासी के लिए उपलब्ध नहीं है।

यदि मैं सेवानिवृत्ति/60 वर्ष की आयु के बाद भी अपने NPS खाते में अंशदान जारी रखूँ तो क्या मैं SLW का विकल्प चुन सकता हूँ?

हाँ, आप 75 वर्ष की आयु तक SLW का विकल्प चुन सकते हैं।
